

फद अहकाम

रामनाथ

बनाम बखूलाल वर्जे

नाम न्यायालय

केस संख्या 134/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/8/22	<p>अधिवक्ता जाली उप० जाली द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जाली अधिवक्ता के फल बाद की खिा मिले जाने का जाली फा पेश करने पर जाली स्विकार किया जाकर फल बाद खिा किया जा चुका है। अल इस फावली के बारे कबिाधी अपेक्षा नहीं है। जाली का जाली खिा मिले जाने की अज्ञाती उदात्त मि पाली है फावली जैसल अकार केउर मि नम्रर ल कड हो ताका ताकिम सध्तर हो। 882</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बी.मं. जिला जयपुर</p>

मि उअविओरि
कारेनाही नही
पाएला

रामनाथ

मुलेपुय
यस

13/8/22

(रामनाथ वर्जे)



उपखण्ड अधिकारी
बी.मं. जिला जयपुर